

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, राँची, बंगला नं०-A-2,
श्यामली कॉलोनी, राँची-834002

राँची, दिनांक- 11/01/2018

विषय :- मेसर्स सेल, मनोहरपुर लौह अयस्क खान, चिरिया ग्रुप के खनन पट्टों के सैद्धांतिक अपयोजन स्वीकृति क्षेत्र 595.075 हे० से खनिज की निकासी/परिवहन के लिए समर्पित Closed Conveyor System के लिए प्रस्तावित 14.88 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक परियोजना से संबंधित प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-401 दिनांक-24.05.2017 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4307 दिनांक-25.09.2017 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नकों सहित) आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- (i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (ii) प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या-WP(C) 202/1995 में दिनांक-28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 14.88 हे० वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।
- (iii) प्रस्तावित वनभूमि के विरुद्ध चिन्हित 40 हे० अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- (iv) पहुँच पथ के लिए प्रस्तावित 8.756 हे० वनभूमि को Conveyor Belt की स्थापना के उपरांत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Surrender कर दिया जाएगा तथा इसके वनरोपण की राशि भी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- (v) सारण्डा क्षेत्र के लिए निर्मित समेकित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना में अनुपातिक राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वहन की जाएगी।
- (vi) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वसभाजन

11/01/18

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

ok

ज्ञापांक-वन भूमि-15/2017- 160

व०प०, राँची, दिनांक- 11/01/18

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

11/01/18

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वन भूमि-15/2017- 160

व०प०, राँची, दिनांक- 11/01/18

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/महा प्रबंधक (खान), मनोहरपुर अयस्क खान, SAIL रॉ मटेरियल डिवीजन, मनोहरपुर, चिरिया, पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड-833106/उप महाप्रबंधक, आर० एम० डी०, श्यामली कॉलोनी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/01/18

सरकार के उप सचिव

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 14.88 ha of forest land for installation of conveyor system for the evacuation of Iron ore from mining leases of Manoharpur Iron ore mines, Chiria of M/S SAIL.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 14.88 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no. 160 dated-11.01.2018

Signature :

Name & Designation : Sunil Kumar
(Dy. Secretary)
Forest, Environment & Climate
Change Department

उप सचिव

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
राजधानी, रांची

Date : 11.01.2018

Place : Ranchi

(Official Seal)



झारखण्ड सरकार

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, झोरण्डा, राँची-834002

e-mail-pccfjhk@jharkhandmail.gov.in 0651-2481909 (T) 2480413 (F)



दिनांक:- 25-9-17

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

मेसर्स सेल, मनोहरपुर लौह अयस्क खान, चिरिया गुप के खनन पट्टों के सैद्धांतिक अपयोजन स्वीकृति क्षेत्र 595.075 हे० से खनिज की निकासी/परिवहन के लिए समर्पित Closed Conveyor System के लिए प्रस्तावित 14.88 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

1. वन विभागीय पत्रांक वनभूमि-15/2017- 3181 दिनांक 31.07.2017 - पृ.-15/प.
2. वन संरक्षक-सह-उप निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 843 दिनांक 13.09.2017

अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सं०... 4/9/17
04 OCT 2017
प्रसंग:-
झारखण्ड, राँची

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र-1 के आलोक में वांछित विषयगत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव हेतु वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र निर्गत करने के क्रम में हुई बैठक की कार्यवाही की दो प्रतियाँ तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड का मंतव्य नाभिक पदाधिकारी कार्यालय के प्रासंगिक पत्र-2 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसकी एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन,
राँची।